।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 897 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, 30/08/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः— **जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**
(प्रस्ताव सं0—FP/UK/ROAD/146449/2021)

संदर्भः— **आपका पत्रांक सं0 1420/12—1 दिनांक 09.01.2024**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में निम्न कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली की पत्र सं0 658/36सी0 दिनांक 08.05.2024 से कमियो का निराकरण निम्नानुसार कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया हैः—

क्र0सं0	प्रस्ताव में पायी गयी कमियां	आपत्तियो का निराकरण
1.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग की पिलर बंदी नहीं की गयी है।जिससे प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक सम्पूर्ण लम्बाई में मानक के अनुसार करें ताकि वास्तविक रूप से प्रभावित वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न किया जाये तथा वैकल्पिक संरेखण का भी पुनः परीक्षण करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग का भू—चिन्हांकन व पिलरबंदी सम्पूर्ण ल0 में कर दी गयी है तथा वास्तविक रूप से प्रभावित वृक्षो की सूची प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।
2.	प्रत्येक पिलर का क्रमांक सहित प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार संधारित किया जाये। (क) प्रस्तावक विभाग 25 मी0की दूरी पर प्रत्येक पिलरों का रिकॉर्ड रखेगा जिसमें ढाल तथा पिलरों की दूरी अवश्य अंकित की जाये। (ख) वन विभाग प्रत्येक पिलर के मध्य प्रभावित होने वाले वृक्षों (प्रजातिवार व्यास वर्गवार)भूमि (आरक्षित, सिविल,पंचायत,नाप) का पूर्ण विवरण संधारित करेंगे।	(क) प्रस्तावित मोटर मार्ग में लेविल पिलर एवं बैक कटिंग पीलर 25—25 मी0 दूरी पर बना दिये गये है (ख) प्रस्ताव में वृक्षों की सूची संलग्न कर दी गयी है।
3.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 /11—43/2021—एफ0सी0 दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया हैः—	
	In respect of linear projects the stiuplated norms of 2% and 0.5 towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministrys guidelines date 05.06.2022 will be proprtionate to the externet of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implemenatation of such plans,whichever is more,should be charge from the user agency.	वन्यजीव प्रबन्धक योजना एवं भूमि जल संरक्षण योजना प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
.	The Provisions of wildlife Management plan or Soil Moisture Conservation plan shall be approved by the e competent authority in the State and accordingly , the defict amount,if any, from the money already realized from to the tune of 2% nad or 0.5% of project cost proprtionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency , and the same shall be deposited into the CAMPA account.	

4.	प्रस्ताव में न्यूनतम वृक्षों का पातन किये जाने के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाए की प्रभावित वृक्षों में से कितने वृक्षों का पातन किया जाएगा।	न्यूनतम वृक्षों का प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
5.	प्रस्ताव मोटर मार्ग में प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण हेतु 0.31 है0 सिविल भूमि तथा 1.322 है0 वन पंचायत में लिया गया है। मलवा निस्तारण स्थल वन भूमि से अन्यत्र भूमि में लिया गया।	मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
6.	पूर्व निर्मित सिमली सणकोट मोटर मार्ग(8.8किमी0)से सिमली से नाखोली की दूरी लगभग 02 किमी0 बताया गया है प्रस्तावित मार्ग का विस्तृत औचित्य प्रमाण पत्र	प्रस्तावित मार्ग का अन्य विकल्प न होने के कारण नाखोली गाँव की आबादी जोड़ने हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग की ल0 2 किमी0 में प्रस्तावित है।
7.	प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है कि सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग के स्तर से पूर्व में स्वीकृत वन भूमि प्रकरणों के सापेक्ष कोई भी देनदारी लम्बित नहीं है।	प्रस्ताव में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः— 897 /12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

o/c